

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013..... / परि०

पटना, दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-631 दिनांक-27.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अखिलेश कुमार, बि०प्र०से०, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रजौली को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत करारोपण पदाधिकारी, रजौली चेक पोस्ट, नवादा के पद का प्रभार सौंपा गया है।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा की गयी उक्त स्थानीय व्यवस्था के आलोक में श्री अखिलेश कुमार, बि०प्र०से०, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रजौली को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी, रजौली चेक पोस्ट, नवादा के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई-मेल ज्ञापांक - 05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013 6090 पटना, दिनांक 21/12/2015

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ)/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, प्रमंडल, गया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मगध प्रमंडल, गया/श्री अखिलेश कुमार, बि०प्र०से०, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रजौली, नवादा/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नवादा/आई० टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक, स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना